एस.टी. नं0 519/2013
राज्य बनाम कुन्दन आदि।

दिनांक 22.07.2026

1— पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। अभियुक्त कुन्दन उपस्थित। अभियुक्त रामपाल उर्फ राजकुमार की आज की हाजिरी प्रार्थनापत्र पर माफ की गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान ए.डी.जी.सी. फौजदारी उपस्थित।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 41ख अन्तर्गत धारा 311 द0प्र0सं0

2— प्रार्थी/अभियुक्त कुन्दन की ओर से प्रार्थनापत्र सं0 41ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है तथा पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत है, किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा पी0डब्ल्यू0—1 जमुनादास पुत्र मनोहरलाल, पी0डब्ल्यू0—6 ए.सी.पी. प्रवीन से जिरह का अवसर का समाप्त कर दिया गया तथा पी0डब्ल्यू0—5 एस.आई. सुखवीर सिंह से भी जिरह जारी है, समाप्त नहीं हुई। उक्त साक्षियों से जिरह का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित निर्णय के लिए अति आवश्यक है। अतः साक्षी पी0डब्ल्यू0—1, 5 व 6 को साक्ष्य हेतु तलब करने की याचना की गयी।

3— अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा प्रार्थनापत्र का मौखिक रूप से विरोध किया गया।

4— उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

5— पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में दिनांक 17.11.2014 को साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 जमुनादास की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी तथा साक्षी से जिरह हेतु अभियुक्तगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये इस कारण तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्षी से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया था। दिनांक 23.07.2019 को साक्षी पी0डब्ल्यू0—5 एस.आई. सुखवीर सिंह की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी तथा माल मुकदमा न होने के कारण विद्वान ए.डी.जी.सी. की प्रार्थना पत्र पर मुख्य परीक्षा जारी है। दिनांक 15.03.2023 को साक्षी पी0डब्ल्यू0—6 ए.सी.पी. प्रवीन कुमार सिंह की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी, किन्तु साक्षी से जिरह करने हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा द्वारा अभियुक्तगण का स्थगन प्रार्थनापत्र प्रत्येक अभियुक्त द्वारा दो—दो हजार रूपये नियत दिनांक को जमा करने पर इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि नियत दिनांक को हर्जे की धनराशि जमा न करने पर जिरह का अवसर स्वतः समाप्त माना जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 व पी0डब्ल्यू0—6 से अभियुक्तगण की जिरह का अवसर समाप्त किया जा चुका है तथा साक्षी पी0डब्ल्यू0—5 से जिरह का अवसर जारी है। न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि आज साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 जमुनादास न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जो कि वादी मुकदमा हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के विचार में मामले के प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु अभियुक्त कुन्दन द्वारा उक्त साक्षी से जिरह किया जाना आवश्यक है, यदि अभियुक्त को उक्त साक्षी से जिरह का अवसर नही दिया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी।

6— अतएव मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विचार में न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त कुन्दन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 41ख अन्तर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त कुन्दन को साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 व 6 से जिरह का एक अवसर प्रदान किया जाता है।

साक्षी पी0डब्ल्यू0—1 जमुनादास से जिरह हेतु पत्रावली लन्च बाद पेश हो।

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0—1,
आगरा।
आई0डी0 नं0—यूपी—6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2026.07.22 17:20:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court